**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

**Original Application No. 07/2022 and**
**Original Application No. 12/2022**

**IN THE MATTER OF:**
**SUBHASH C. PANDEY APPLICANT(S)**

***VERSUS***

**STATE OF MP & ORS RESPONDENT(S)**

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA PRADESH**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER:

1. That, the issue raised in this application is alleged unauthorized / illegal construction, encroachment and discharge of sewage in to the Kaliyasot & Kerwa reservoir of District Bhopal (Madhya Pradesh). The Hon'ble NGT has issued orders for the removal of encroachments and prevention of discharge of sewage in to the reservoirs. In this regard, action taken reports were submitted before the Hon'ble NGT by the State.
2. That, in reference to the directions issued by Hon'ble NGT for removal of encroachments and prevention of sewage, a review meeting of the concerned departments was conducted by the Principal Secretary, Environment on dated 06.03.2025 where the officers of the concerned department were instructed to ensure the compliance of directions of Hon'ble NGT and submit the status report in this regard. The minutes of the meeting are enclosed as **Annexure-I.**
3. That, in compliance of the order of Hon'ble NGT, the status report is submitted by the concerned departments and the same are given as under:

   3.1. That, BMC vide letter dated 05/05/2025 submitted that, out of the 11 encroachments, BMC has removed 4 encroachments and remaining 7

encroachers filed Writ Petitions before the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, The OIC of BMC has submitted a reply before the Hon'ble High Court, Jabalpur. Presently, case is pending before the Hon'ble High Court. Also, it is submitted that the work of marking 150 hectares of land for Botanical Garden / Regional Park will be done by Town and Country Planning. The copy of the letter dated 05.05.2025 is enclosed as **Annexure-II**.

3.2. That, BMC also submitted the status of construction of sewage treatment plants for prevention of sewage mixing in to reservoirs. The construction of two Sewage Treatment Plants having capacity of 200 KLD at Suraj Nagar and capacity of 450 KLD at Barkhedi nalla are constructed by M/s Saven Consultancy Service Pvt. Ltd., Lucknow. The construction work of 200 KLD STP at Suraj Nagar area has been completed and trial run of the plant is being done. Similarly, about 75 percent of the construction work of 450 KLD STP of Barkhedi nalla has been completed.

3.3. That Janpad Panchayat, Fanda vide letter dated 24.04.2025 submitted that the 15 encroachments within the 33-meter perimeter of FTL of Kerwa reservoir have been identified in Janpad Panchayat Fanda, District Bhopal. In the 15 encroachments, 7 encroachments are in Gram Panchayat Mendora, 3 encroachments are in Gram Panchayat Bhanpur Kekadia, 2 encroachments are in Gram Panchayat Berkhediwajyaft, 3 encroachments are in Gram Panchayat Chhapri have been identified. The notices have been issued to the encroachers by the concerned Gram Panchayat to remove the encroachments but the encroachments have not been removed by the encroachers. Now, the matter is reported to Sub-Divisional Officer, Revenue Huzur with request to provide the Revenue staff and Police force to remove the encroachments. The matter of removal of encroachments is in progress.

3.4. That, it is also submitted by Janpad Panchayat Fanda vide letter dated 24/04/2025 that the work of prevention of mixing of sewage into Kerwa Reservoir is completed. This includes, the construction of DEWAT based STP having capacity of 15 KLD in village Mendori, construction of 03 soak pits having capacity of 05 KLD each in village Kushalpura and the construction of 10 leach pits having capacity of 02 KLD in village Mendori. With regards to the disposal of waste water in Kerwa reservoir construction 10 leach pits of capacity 2500 liters to dispose of the waste water of 83 houses of Gram Panchayat Mendori. In village Kushalpura of Gram Panchayat Berkhediwajyaft, 2 soak pits of approximately 8000 liters' capacity have been constructed for disposal of waste water of 19 families and 3 soak pits of approximately 4000 liters' capacity have been constructed for disposal of waste water of 14 houses. The construction work has been completed and the connection has been made. The copy of the letter dated 24.04.2025 is enclosed as **Annexure-III.**

3.5. That, SDM, TT Nagar, Bhopal vide letter no 205 dated 01.05.2025 submitted that the concerned Tehsildars have issued orders to the encroachments found on government land. In 84 encroachments, for the 58 slums encroachments, BMC has written a letter to Collector, Bhopal for relocation of slums. for 15 Temporary Dairy encroachments, 12 dairies have been removed, the encroachments of 3 Temporary Sheds and 1 Biodiversity Shed have been removed. The copy of the letter dated 01.05.2025 is enclosed as **Annexure-IV**.

3.6. That, SDM, Huzur, Bhopal vide letter dated 06.05.2025 submitted that, 18 out of 33 encroachments / illegal constructions were identified on government land within the 33-meter perimeter of FTL of Kerwa reservoir and the case was filed under Section 248 of the Land Revenue Code. The two encroachments by Shahid Khan and Lal Mian, residents of village

Mahuakheda, has been removed from government land. The encroachment of the temple situated on government land in village Bhanpur Kekadia has been removed. The process of removing the remaining encroachments is in process as per rules under Section 248 of MP Land and Civil Code 1959. The copy of the letter dated 06.05.2025 is enclosed as **Annexure-V**.

3.7. That, WRD, Bhopal vide letter dated 23.04.2025 submitted that the demarcation/survey work of submergence area (FTL) of Kaliyasot reservoir and land acquired by the department has been done. The area of submergence area (FTL) of Kaliyasot reservoir is 492.853 hectares, outside the submergence area of Kaliyasot reservoir the land acquired by the department in village Singpur is 25.28 hectares and in village Chavni is 11.547 hectares. Thus, the submergence area of Kaliyasot reservoir is 492.856 hectares and outside the submergence area the land acquired by the department is 36.827 hectares (25.28+11.547), making the total area 529.68 hectares, whose geo tag referencing has been done. Out of the 123 already installed blocks in the submergence area (FTL) of Kaliyasot reservoir, 64 blocks were found to be defective, thereafter a total of 679 blocks were installed. The work of demarcation/survey of the submerged area (FTL) of Kerwa reservoir and the land acquired by the department has been done, in which the area of submerged area (FTL) of Kerwa reservoir is 462.150 hectares, whose geo tag referencing has been done. No blocks were found during demarcation/survey in the submerged area (FTL) of Kerwa reservoir. A total of 1080 blocks were installed during demarcation. The copy of the letter dated 23.04.2025 is enclosed as **Annexure-VI**.

3.8. That, DFO, Bhopal vide dated 06.05.2025 submitted the plantation details. In 2019, total 8000 plants in 10.960 hectares ‘area are planted near Kaliyasot Dam Road. In 2017, total 6000 plants in 5.656 hectares ‘area are planted near Kerwa Mendora area. It is also submitted that Kerwa-Kaliyasot

area is not notified as tiger corridor but it is a tiger movement area. The copy of the letter dated 02.05.2025 is enclosed as **Annexure-VII**.

4. Hence, the present reply is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present Report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by Respondent Authorities.

**Date:06.05.2025**
**Place: Bhopal**

**Through Counsel**
**Prashant M. Harne**
**Standing Counsel**
**State of Madhya Pradesh**

**मध्यप्रदेश शासन**
**पर्यावरण विभाग**
**मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक I/233443/2025 भोपाल, दिनांक 09-04-2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं प्रकरण के प्रभारी अधिकारी ।

विषय:- प्रकरण ओ.ए. क्र. 07/2022 एवं 12/2022 डॉ सुभाष सी पान्डेय विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित निर्णय के पालन बावत् ।

--00--

दिनांक 06 मार्च 2025 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण संबंधितों को प्रेषित करने एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

Digitally signed by
Varsha Solanki
Date: 09-04-2025
15:06:12

VARSHA SOLANKI
DEPUTY SECRETARY

**मध्यप्रदेश शासन**
**पर्यावरण विभाग**
**मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल**

## // कार्यवाही विवरण //

**विषय:-** **माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ0 ए0 क्रमांक07/2022(सी.जेड.) तथा ओ. ए. क्रमांक 12/2022 (सी.जेड.) - डॉ. सुभाष सी पाण्डेय विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य के सम्बन्ध में सम्बंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण ।**

--00--

विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 07/2022 (सीजेड) तथा प्रकरण क्रमांक 12/2022 (सीजेड) - डॉ. सुभाष सी पाण्डेय विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में समीक्षा बैठक दिनांक 06.03.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में सम्पन्न हुई, जिसमें परिशिष्ट 01 अनुसार अधिकारी उपस्थित हुये।

2/- बैठक में माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 07/2022 (सीजेड) तथा प्रकरण क्रमांक 12/2022 (सीजेड) (डॉ. सुभाष सी पाण्डेय विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य)में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिपालन में की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के संबंध में पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन (संलग्नक- परिशिष्ट 02) अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

3/- बैठक के दौरान प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग द्वारा संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही पर चर्चा की गई तथा प्रकरण की आगामी सुनवाई (07.05.2025) के पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर समुचित कार्यवाही कर पर्यावरण विभाग को अवगत करने हेतु निर्देशित किया गया :-

.....निरंतर...//2//.....

(1) कलियासोत रिजर्व वायर के अंतर्गत चिन्हित 96 अतिक्रमण हटाने के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति ।

**(कार्यवाही जिला प्रशासन तथा नगर निगम, भोपाल)**

(2) कलियासोत रिर्जवायर के निजी भूमि में पाये 11 अवैध निर्माण में से 07 अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन प्राप्त करने के उपरांत स्थगन रिक्त कराने हेतु की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति ।

**(कार्यवाही जिला प्रशासन तथा नगर निगम, भोपाल)**

(3) कलियासोत रिर्जवायर के 33 मीटर बफर जोन में शासकीय भूमि पर चिन्हितअतिक्रमण के विरूद्ध एल.आर.सी. की धारा 248 के अंतर्गत वाद दायर करने के उपरांत की गई कार्यवाही तथा अद्यतन स्थिति।

**(कार्यवाही जिला प्रशासन, भोपाल)**

(4) केरवा रिर्जवायर में शासकीय भूमि पर चिन्हित 33 अतिक्रमण/अवैध निर्माण में 18 को तहसीलदार द्वारा एल.आर.सी. की धारा 248 के अंतर्गत दायर वाद की स्थिति तथा 15 को जनपद पंचायत फंदा द्वारा नोटिस के बाद की गई कार्यवाही तथा अद्यतन स्थिति ।

**(कार्यवाही जिला प्रशासन, जनपद पंचायत फंदा)**

(5) भोपाल विकास योजना 2005 में केरवा तथा कलियासोत रिर्जवायर के चारो ओर 33 मीटर बफर के अतिरिक्त 150 हेक्टेयर भूमि जो वॉटनिकल गार्डन/रीजनल पार्क हेतु सुरक्षित की गई है, पर अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।

**(कार्यवाही नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम भोपाल)**

.....निरंतर...//3//.....



ile No. ENV/0042/2025-Sec-1-66(ENV) (Computer No. 428499)

(6) कलियासोत रिर्जवायर में मिलने वाले दूषित जल की रोकथाम एवं उपचार हेतु 200 KLD क्षमता का सूरज नगर में प्रस्तावित STP तथा 450 KLD क्षमता के बरखेड़ी नाला के पास निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की अद्यतन स्थिति।

**(कार्यवाही नगर निगम, भोपाल)**

(7) जिला पंचायत फंदा के अंतर्गत केरवा रिर्जवायर में मिलने वाले दूषित जल के उपचार हेतु ग्राम मेंडोरी में 15 केएलडी का डीवाट्स आधारित एस.टी.पी., ग्राम कुशलपुरा में 05 केएलडी के 03 सोकपीट तथा ग्राम मेनडोरी में 02 केएलडी क्षमता के 10 लीचपीट का निर्माण पूर्ण होना बताया गया है। अत: यह सुनिश्चित किया जाये कि इन सीवेज नेटवर्क में सभी घरेलू/दूषित जल के स्त्रोत कनेक्ट कर दिये गये हैं ।

**(कार्यवाही सी.ई.ओ. जिला पंचायत फंदा)**

(8) केरवा रिर्जवायर के चारो ओर 06 हेक्टेयर तथा कलियासोत रिर्जवायर के चारो ओर 6.3 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति।

**(कार्यवाही वन विभाग, भोपाल)**

(9) केरवा एवं कलियासोत रिर्जवायर क्षेत्र में बाघ तथा तेंदुए आदि वन्य जीवों के विचरण क्षेत्र (कॉरिडोर) का चिन्हीकरण, हदबंदी तथा संरक्षण (Identification, demarcation, protection) के संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण ।

**(कार्यवाही वन विभाग, भोपाल)**

(10) केरवा रिर्जवायर तथा कलियासोत रिर्जवायर के एफ.टी.एल. के चारो ओर सीमांकन (पिलर्स/मुनारे स्थापित करना) की अद्यतन स्थिति एवं कार्यपूर्ण करने की समय-सीमा की जानकारी।

**(कार्यवाही जल संसाधन विभाग, भोपाल)**

(11) कलियासोत तथा केरवा रिर्जवायर की जल गुणवत्ता के मापन में फीकल कोलीफार्म है की जांच भी की जाये।

**(कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)**

.....निरंतर...//4//.....

(12) कलियासोत तथा केरवा रिर्जवायर की जल गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एरेटर्स स्थापित किया जाना।

**(कार्यवाही नगर निगम, भोपाल तथा जनपद पंचायत, फंदा)**

(13) कलियासोत रिर्जवायर के समीपस्थ क्षेत्र में डेरी एवं पशुपालन गतिविधियों को हटाने की कार्यवाही।

**(कार्यवाही नगर निगम, भोपाल)**

(14) कलियासोत नदी के एच.एफ.एल. से 33 मीटर हथबंधी की सीमा तय करना एवं इस क्षेत्र में विकसित रहवासी कॉलोनियों की विकास अनुमति की जानकारी ।

**(कार्यवाही T & CP नगर निगम, भोपाल,जिला प्रशासन, भोपाल)**

(15) स्वर्णजयंती पार्क तथा कोलार रोड के आसपास स्थापित कॉलोनियों में एस.टी.पी. की स्थिति। यदि एस.टी.पी. बनाये गये हैं तो क्या उसे सीवेज नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, उसकी विस्तृत जाँच कर अद्यतन स्थिति ।

**(कार्यवाही नगर निगम, भोपाल)**

बैठक धन्यवाद के पश्चात समाप्त हुई ।

**(वर्षा सोलंकी)**
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट- 1

## समीक्षा बैठक दिनांक 06.03.2025 मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में सम्पन्न बैठक में उपस्थित अधिकारी

1. श्री सिद्धार्थ जैन, ए.डी.एम., भोपाल
2. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
3. श्री वरूण अवस्थी ए.डी.सी., नगर निगम भोपाल
4. श्रीमती सुनीता सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
5. सुश्री निधी चौहान, डी.एफ.ओ. (पर्यावरण वानिकी), भोपाल
6. श्री लोकप्रिया भारती, डी.एफ.ओ. भोपाल,
7. श्री लोकेन्द्र ठक्कर, ओ.आई.सी., म.प्र. स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी, भोपाल
8. डॉ. ए.के. सक्सेना, एस.एस.ओ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
9. डॉ. अर्चना शर्मा, एस.डी.एम., टी.टी. नगर, भोपाल
10. श्री विनोद सोनकिया, एस.डी.एम., हुजूर, भोपाल
11. श्री रविशंकर राय, एस.डी.एम., कोलार, भोपाल
12. श्री नितिन कूहिकर, ई.ई., जल संसाधन विभाग, भोपाल
13. डॉ. दिनेश डामरे, ए.एस.ओ., म.प्र. स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी, भोपाल
14. श्री अनूप गोयल, सी.पी., नगर निगम भोपाल
15. श्री डी.के. सिंह, ए.ई., नगर निगम भोपाल
16. श्री बृजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

# उपस्थिति पत्रक बैठक दिनांक 6.3.2025

| क्र. | नाम, पदनाम एवं विभाग | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | Siddharth Jain ADM Bhopal | |
| 2 | Varun Awasthi ADC BMC (H.Q) | |
| 3) | Sunita Singh T&CP BHOPAL | |
| 4) | Nidhi Chouhan, DFO (Paryavaran Vanike) | |
| 5. | Lokpriya Bharti DFO - Bhopal (T) | |
| 6. | Lokendra Thakkar, O/C MPSWA, | |
| 7 | ACHYUT MISHRA MPPCB | |
| 8 | Dr. AK Saxena, SSO, MPPCB | |
| 9 | डा० अर्चना शर्मा | |
| 10 | विनोद सोलंकिया SDM हुजूर | |
| 11. | रविशंकर राय - S.D.M. कोलार | |
| 12 | Nitin Kulkarni E.E. WRD Bhopal | |
| 13. | Dr. Dinesh Damde, ASO, MPSWA, EPCO | |
| 14 | Anoop Goyal, CP, BMC | |
| 15. | Brajesh Sharma, RO, MPPCB, Bhopal | |
| 16 | R. K. Singh, BMC | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**परिशिष्ट-2**

## प्रकरण क्र. ओ.ए. 07/2022(सीजेड) & प्रकरण क्र. 12/2022 (सीजेड) में की गयी कार्यवाही का विवरण

1) प्रकरण क्रमांक 07/2022 (सीजेड) कलियासोत रिजर्वायर के पर्यावरण संरक्षण एवं अतिक्रमण से संबंधित है तथा प्रकरण क्रमांक 12/2022 (सीजेड) केरवा रिजर्वायर के पर्यावरण संरक्षण एवं अतिक्रमण से संबंधित है।

2) माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 को आदेश दिनांक 13.04.2022 द्वारा संयुक्त किया गय।

3) माननीय एन.जी.टी. द्वारा आदेश दिनांक 15.07.2022 को निम्नानुसार बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी:-
   1. कलियासोत एवं केरवा स्थित भूमि के अधिकार/अधिपत्य (खसरा खतोनी) के संबंध में।
   2. रिजर्वायर एवं आस-पास की सम्पूर्ण भूमि के संबंध में ।
   3. बाउंडरी एवं सीमांकन की वर्तमान स्थिति ।
   4. भूमि की सुरक्षा हेतु पिलर्स या फेंसिग या अनुमति अनुसार पौधारोपण की स्थिति।
   5. अतिक्रमण की पहचान एवं उसे हटाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही ।
   6. पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए उठाये जाने वाले कदम ।
   7. जलीय स्त्रोत एवं रिजर्वायर में अशोधित पानी के निस्त्राव को रोकने हेतु संबंधी संस्था द्वारा उठाये जाने वाले कदम ।
   8. ग्रीन बेल्ट एवं उसके रख-रखव की स्थिति एवं इसके संबंध में प्रावधान ।
   9. बाघ के भ्रमण क्षेत्र की पहचान, सीमांकन तथा उसकी सुरक्षा ।
   10. जलाशयों के आस-पास के क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले जानवरो से मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रशासनिक संस्था द्वारा की गई कार्यवाही ।

4) उपरोक्त हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 (सीजेड) तथा प्रकरण क्रमांक 12/2022 (सीजेड) को आदेश दिनांक 15.07.2022 द्वारा क्रमशः कलेक्टर भोपाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, जल संसाधन, नगर तथा ग्राम निवेश एवं वन विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया।

5) संयुक्त दल द्वारा दिनांक 28.09.2022 की रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की गई।

6) दिनांक 22/11/2022 को प्रकरण में सुनवाई के उपरांत माननीय एन.जी.टी. द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश पारित किया।

7) माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश अनुसार पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 21.08.2023 द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष 10 बिन्दुओ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

8) उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन दिनांक 14/09/2023 को माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई 20/09/2023 को संपन्न हुई।

9) मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अंतरविभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 08/01/2024 को आयोजित की गयी, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

*i.* कलेक्टर भोपाल द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार कुल 96 अतिक्रमण/अवैध निर्माण कलियासोत रिर्जवायर में चिन्हित किये गये, जिसमें 84 शासकीय भूमि पर तथा 12 निजी भूमि पर पाये गये।

*ii.* निजी भूमि पर 11 अवैध निर्माण है जो त्रुटिवश 12 लिखे गये।

*iii.* इन 11 अवैध निर्माण में 03 तोड़े गये, 01 स्वंय हटाया गया एवं 07 हाईकोर्ट से स्टे पर है।

*iv.* केरवा रिर्जवायर में 33 अतिक्रमण/अवैध निर्माण शासकीय भूमि पर पाये गये।

*v.* इनमें 18 को तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया तथा 15 को संबंधित पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया।

*vi.* प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा बताया गया कि भोपाल विकास योजना 2005 में केरवा तथा कलियासोत रिर्जवायर के चारो ओर 33 मीटर बफर के अतिरिक्त 150 हेक्टेयर भूमि वॉटनिकल गार्डन/रिजनल पार्क हेतु सुरक्षित किया गया है।

*vii.* कलियासोत रिर्जवायर में मिलने वाले 1.25 MLD दूषित जल में से 0.60 MLD दूषित जल को अक्टूबर 2023 में मौजूदा सीवेज नेटवर्क में जोड़ा गया।

*viii.* शेष 0.65 MLD दूषित जल हेतु दो एस.टी.पी. क्रमशः 0.20 MLD सूरज नगर में तथा 0.45 MLD बरखेड़ी नाला के पास निर्माणाधीन है जोकि 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुके है।

*ix.* सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा सूचित किया कि केरवा रिर्जवायर में मिलने वाले दूषित जल के उपचार हेतु ग्राम मेनडोरी में 15 केएलडी का डीवाट्स आधारित एस.टी.पी., ग्राम कुशलपुरा में 05 केएलडी के 03 सोकपीट तथा ग्राम मेनडोरी में 02 केएलडी क्षमता के 10 लीचपीट का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

x. वन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि केरवा रिर्जवायर के चारो ओर 6 हेक्टेयर तथा कलियासोत रिर्जवायर के चारो ओर 6.3 हेक्टेयर की भूमि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित की गयी।

xi. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया कि कलियासोत तथा केरवा रिर्जवायर में प्रतिमाह 05 स्थानो पर जल गुणवत्ता मापन कार्य किया जा रहा है।

xii. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कलियासोत डेम का डूब क्षेत्र 529.68 हेक्टेयर तथा केरवा डेम का 462.15 हेक्टेयर है।

xiii. दिनांक 15/02/2024 की स्थिति में केरवा तथा कलियासोत रिर्जवायर के चारो ओर 1080 तथा 679 पिलर्स/मुनारे स्थापित किये जा चुके है।

xiv. बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 15.02.2024 को माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा,

क्रमांक 2393 /भ.अ.शा. / 2025 भोपाल, दिनांक– 05 / 05 / 2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

विषयः– माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक–07 / 2022 (CZ) एवं 12 / 2022 (डॉ. सुभाष सी.पाण्डेय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) मे पारित आदेश के पालन बावत्

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक–1164 / क्षेका / प्रनिबो / 2025 भोपाल दिनांक–11.04.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग की अध्यक्ष्यता में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही विवरण में भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम, भोपाल से संबंधित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

**बिन्दु क. 1**

कलियासोत रिजर्वायर के अन्तर्गत चिन्हित 96 अतिक्रमण में से 11 अतिक्रमण नगर पालिक निगम, भोपाल से संबंधित है, जिनकी विस्तृत जानकारी बिन्दु कं. 02 में उल्लेखित है।

**बिन्दु कं. 2**

निजी भूमि पर निर्मित 11 अवैध निर्माणों में से 4 अवैध निर्माण को हटाया गया है एवं शेष 07 अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है जिनमें नगर पालिक निगम, भोपाल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन 7 प्रकरणों को कलियासोत नदी से संबंधित अन्य 40 प्रकरण सहित कुल 47 प्रकरणों को कनेक्टेड किया गया है एवं वर्तमान में उक्त सभी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन है।

**बिन्दु क.5**

वॉटनिकल गार्डन / रीजनल पार्क हेतु 150 हेक्टेयर भूमि के चिन्हांकन का कार्य नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किया जाना है तत्पश्चात अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कार्यवाही नगर पालिक निगम, द्वारा की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार भवन अनुज्ञा शाखा, नगर निगम भोपाल से संबंधित जानकारी प्रेषित है।

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक........../भ.अ.शा. / 2025 भोपाल, दिनांक–......../......./ 2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से कृपया सूचनार्थ ।

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम, भोपाल

# //प्रतिवेदन//

**कलियासोत रिजरवायर में मिलने वाले सीवेज की रोकथाम हेतु निर्माणाधीन सूरज नगर में 200 के.एल.डी. एवं बरखेड़ी कलां क्षेत्र में 450 के.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट के संबंध में।**

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कलियासोत रिजरवायर अंतर्गत सूरज नगर 200 के.एल.डी. एवं बरखेड़ी नाले के समीप 450 के.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य निविदाकार मेसर्स सावेन कंसल्टेंसी सर्विस प्रा.लि. लखनऊ द्वारा कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्य प्रगति पर है।

ठेकेदार द्वारा सूरज नगर क्षेत्र में निर्मित किये जा रहे 200 के.एल.डी. एस.टी.पी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं प्लांट का ट्रायल रन किया जा रहा है। इसी प्रकार बरखेड़ी नाले के समीप निर्मित किये जा रहे 450 के.एल.डी के एस.टी.पी. का कार्य लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

उदित गर्ग
अधीक्षण यंत्री
(सीवेज प्रकोष्ठ)
नगर निगम भोपाल

श्री सचिन साहू
सहायक यंत्री
नगर निगम भोपाल

1570

श्री सचिन
सहाय
नगर निग

200KLD.

श्री सचिन ...
सहायक य...
नगर निगम भोपाल

2OOKLD

200KLD

सहायक यंत्री
नगर निगम भोपाल

200KLD.

सहायक यंत्री
भोपाल

Annexure III

# कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 1540 / ज.पं. / 2025 भोपाल दिनांक 24/04/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

O.M.P.P.C.B. Received 768 Date 28/4/25 BHOPAL

विषय :– माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक 07/2022 सी जेड [illegible] 2022 (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) मे पारित आदेश के संबंध मे।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/1164/क्षेका./प्रनिबो/2025 भोपाल दिनांक 11/04/2025

-000-

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संलग्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही के बिन्दु क्रमांक 4 एवं 7 का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय से अपेक्षित है । प्रकरण के संबंध मे बिन्दुओं से संबंधित की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है –

**बिन्दु क्रमांक 4**

केरवा रिर्जवायर मे शासकीय भूमि पर चिन्हित 33 अतिक्रमण/अवैध निर्माण मे 18 को तहसीलदार द्वारा एल.आर.सी. की धारा 248 के अन्तर्गत दायर वाद की स्थिति तथा 15 को जनपद पंचायत फन्दा द्वारा नोटिस के बाद की गई कार्यवाही तथा अद्यतन स्थिति

**पालन का विवरण**

केरवा जलाशय के एफ.टी.एल. के 33 मीटर की परिधी मे जनपद पंचायत फन्दा भोपाल की चार ग्राम पंचायतो के 15 अतिक्रमण ग्राम पंचायत मैंडोरा के 7, ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के 3, ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त के 2, ग्राम पंचायत छापरी के 3 अतिक्रमण चिन्हित किये गये है ।

चिन्हित किये गये अतिक्रमण धारियों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा माह सितम्बर 2023 एवं मार्च 2024 मे अतिक्रमण हटाये जाने के लिये सूचना पत्र जारी किये गये है । किन्तु अतिक्रमण धारियों द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया है ।

तत्पश्चात् ग्राम पंचायतों द्वारा नोटिस दिये जाने एवं अतिक्रमण नही हटाये जाने की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हुजूर को अगस्त 2024 को प्रस्तुत कर राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही हेतु अमले की उपलब्धता तथा तिथि निर्देशित करने हेतु लेख किया गया था ।

राजस्व एवं पुलिस प्रशासन का अमला उपलब्ध होने पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा जावेगी ।

AE(C)
28/4/2025

बिन्दु कमांक 7

जिला पंचायत फन्दा के अन्तर्गत केरवा रिर्जवायर मे मिलने वाले दूषित जल के उपचार हेतु ग्राम मैंडोरी मे 15 केएलडी का डीवाट्स आधारित एस.टी.पी. ग्राम कुशलपुरा मे 05 केएलडी के 03 सोकपीट तथा ग्राम मैंडोरी मे 02 केएलडी क्षमता के 10 लीचपीट का निर्माण पूर्ण होना बताया गया है । अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि इन सीवेज नेटवर्क मे सभी घरेलू/दूषित जल के स्त्रोत कनेक्ट कर दिये गये है ।

पालन का विवरण

केरवा जलाशय मे ग्राम पंचायत मैंडोरी के आवासीय घरो, ग्राम पंचायत मैंडोरा मे स्थित छात्रावास का, ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त के ग्राम कुशलपुरा, के आवासीय घरो का निस्तार का पानी केरवा जलाशय मे सीधे जा रहा था ।

जिसका उपचार निम्नानुसार संरचनाये बनाकर किया गया –

1. ग्राम पंचायत मैंडोरी के 83 घरो का निस्तारी पानी 10 लीचपीट बनाये गये है । प्रत्येक लीचपीट 2500 लीटर क्षमता का है । निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर कनेक्ट कर दिया गया है ।
2. ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त के ग्राम कुशलपुरा मे 19 परिवारों के निस्तारी पानी के निराकरण हेतु 2 सोकपीट लगभग 8 हजार लीटर एवं 14 घरो के निस्तारी पानी के निराकरण हेतु 1 सोकपीट लगभग 4 हजार लीटर की क्षमता के 3 सोकपीट निर्माण किये गये है । निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर कनेक्ट कर दिया गया है ।

संलग्न :– संरचनाओं की फोटोग्राफ्स

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
**जनपद पंचायत फन्दा, भोपाल**

पृ.क्रमांक/1541/ज.पं./2025 भोपाल दिनांक 25/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
**जनपद पंचायत फन्दा, भोपाल**

# कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

## ग्राम पंचायत मैंडोरी मे निर्मित लीच पिट का स्थान

| गली कमांक | लीच पिट कमांक | स्थान | संलग्न घरो की संख्या | संलग्न मकानों के हितग्राहियों का नाम | किये गये ग्रेवाटर ट्रीटमेंट के लगभग KLD मे | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | विरेन्द्र मारण डेयरी के पास | 9 | विरेन्द्र | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | गोविन्द सिंह | | |
| | | | | सुनील | | |
| | | | | टीकाराम | | |
| | | | | गोलू | | |
| | | | | विकास | | |
| | | | | श्रीराम | | |
| | | | | करण | | |
| | | | | सोनू | | |
| | 2 | प्रदीप विश्वकर्मा के घर के पास | 9 | प्रदीप विश्वकर्मा | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | भगवान सिंह | | |
| | | | | प्रेम मारण | | |
| | | | | तिलकबारी बाई | | |
| | | | | रैना बाई | | |
| | | | | मनमोहन | | |
| | | | | लालाराम | | |
| | | | | राहूल | | |
| | | | | मनीष | | |
| | 3 | गोविन्द कुशवाहा के घर के पास | 8 | गोविन्द कुशवाहा | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | कृपाल सिंह | | |
| | | | | रघुवीर कुशवाहा | | |
| 1 | | | | रवि मारण | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लखन मारण | | |
| | | | | मुकेश | | |
| | | | | गयाप्रसाद | | |
| | | | | आनन्दीलाल | | |
| | 4 | राजमल मारण के घर के पास | 8 | राजमल मारण | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | बंदलाल | | |
| | | | | सुरज सिंह | | |
| | | | | विश्वजीत | | |
| | | | | विष्णु विश्वकर्मा | | |
| | | | | लक्ष्मीनारायण | | |
| | | | | अनुप सिंह | | |
| | | | | नारायण | | |
| | 5 | कमर अली के घर के पास | 8 | कमर अली | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | जफर अली | | |
| | | | | आशु | | |
| | | | | खेमचन्द | | |
| | | | | जमनाप्रसाद | | |
| | | | | दिनेश | | |
| | | | | संजय | | |
| | | | | शानू अली | | |
| | 6 | मुमताज अली के घर के पास | 8 | मुमताज अली | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | किशनलाल | | |
| | | | | बागमल | | |
| | | | | अरूण खरे | | |
| | | | | बेनीप्रसाद | | |
| | | | | संतोष | | |
| | | | | सचिन | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राजकुमार | | |
| | 7 | नारायण चौकसे के घर के पास | 10 | नारायण चौकसे | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | राधेश्याम | | |
| | | | | गोपीलाल | | |
| | | | | विनोद | | |
| | | | | राजकुमार | | |
| | | | | किशनलाल | | |
| | | | | जितेन्द्र | | |
| | | | | फूलसिंह | | |
| | | | | प्रवीण | | |
| | | | | मुकेश | | |
| 2 | 8 | कमला बाई के घर के पास | 9 | कमला बाई | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | अनोखीलाल | | |
| | | | | कमलेश | | |
| | | | | भोलाराम | | |
| | | | | नरेन्द्र | | |
| | | | | मोनू | | |
| | | | | मोहन | | |
| | | | | कृष्णकांत | | |
| | | | | बाबूलाल | | |
| | 9 | अशोक चौकसे के घर के पास | 9 | अशोक चौकसे | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | कमलेश | | |
| | | | | राहूल | | |
| | | | | सुनील | | |
| | | | | राकेश | | |
| | | | | अनमोल | | |
| | | | | अनोखीलाल | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | देवीराम | | | |
| | 10 | इमित्याज अली के घर के पास | 5 | शानू | लगभग 2500 लीटर प्रतिदिन | | |
| | | | | इमित्याज अली | | | |
| | | | | इलाहीन | | | |
| | | | | दीपक | | | |
| | | | | मनीराम | | | |
| | | | | देवीराम | | | |

## ग्रेवाटर ट्रीटमेंट डीवार्ट निर्माण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | डीवार्ट निर्माण कमर अली के खेत के पास | ग्राम पंचायत भवन के सामने से नाला निकलता है, जिसमे ग्राम का निस्तार का पानी लगभग 10000 लीटर का बहाव होता है, जिसका डीवार्ट के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है | डीवार्ट ट्रीटमेंट की क्षमता 15000 लीटर प्रतिदिन है |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

# कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

## ग्राम पंचायत बेरखेडी वाज्याफ्त ग्राम कुशलपुरा मे निर्मित सामुदायिक सोक पिट

| गली कमांक | सोक पिट कमांक | स्थान | संलग्न घरो की संख्या | संलग्न मकानों के हितग्राहियों का नाम | किये गये ग्रेवाटर ट्रीटमेंट के लगभग **KLD** मे | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, 2 | ग्राम कुशलपुरा | 19 | राजू सिंलावट | लगभग 8000 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | गनपत लाल | | |
| | | | | तुलसीराम यादव | | |
| | | | | प्रकाश यादव | | |
| | | | | फुलसिंह यादव | | |
| | | | | प्रकाश यादव | | |
| | | | | सत्यनारायण यादव | | |
| | | | | हीरालाल यादव | | |
| | | | | छोगमल यादव | | |
| | | | | प्रेमबाई | | |
| | | | | रमेश पेठारी | | |
| | | | | मिश्रीलाल | | |
| | | | | जीतमल | | |
| | | | | नर्बदी बाई | | |
| | | | | शंकरलाल | | |
| | | | | बंशीलाल | | |
| | | | | मानसिंह | | |
| | | | | संजय सिंह | | |
| | | | | ओमप्रकाश यादव | | |
| 2 | 3 | ग्राम कुशलपुरा | 14 | हरिसिंह | लगभग 4000 लीटर प्रतिदिन | |
| | | | | रामकृष्ण | | |

1584

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लक्ष्मण सिंह | | |
| | | | | कुंजीलाल कुशवाहा | | |
| | | | | मोहनलाल कुशवाहा | | |
| | | | | देवीप्रसाद | | |
| | | | | कला बाई | | |
| | | | | जगदीश कुशवाहा | | |
| | | | | डालचन्द कुशवाहा | | |
| | | | | थानसिंह कुशवाहा | | |
| | | | | परम सिंह कुशवाहा | | |
| | | | | सुरेश प्रजापति | | |
| | | | | रामकिशन प्रजापति | | |
| | | | | शीला बाई कुशवाहा | | |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

# 1585

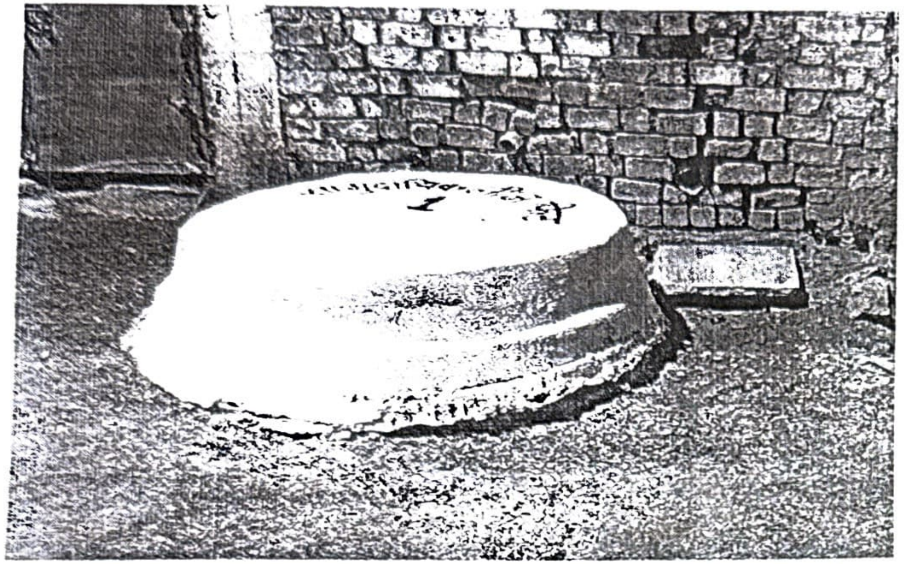

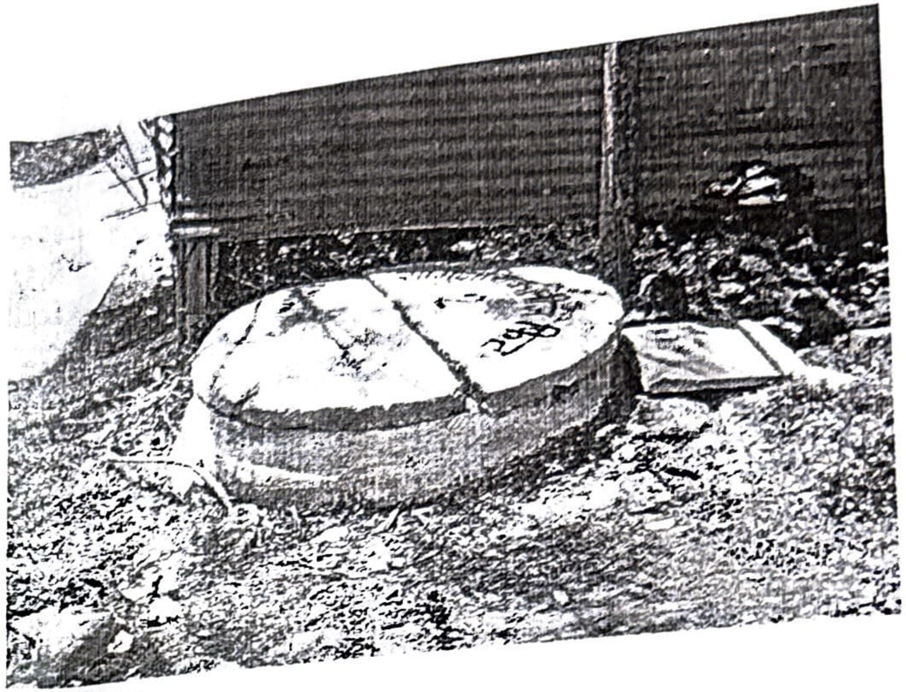

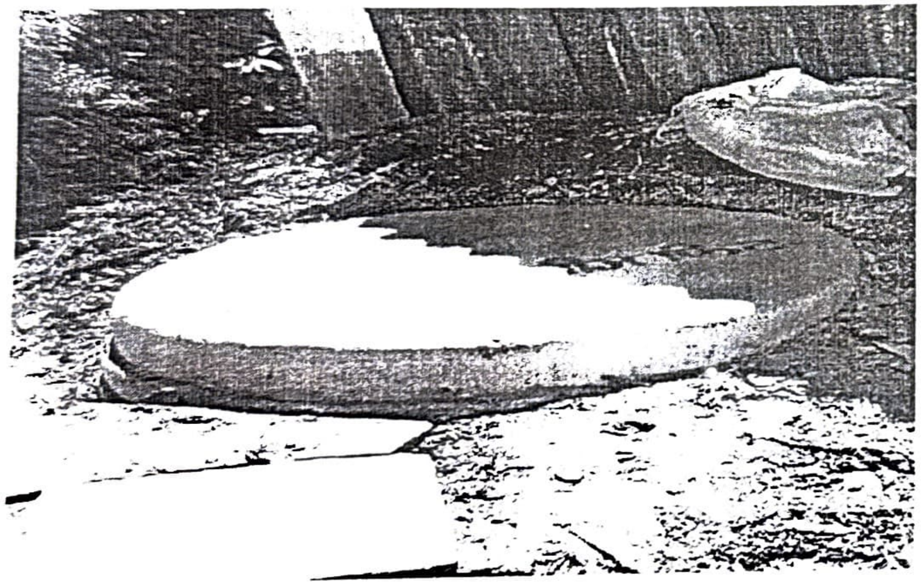

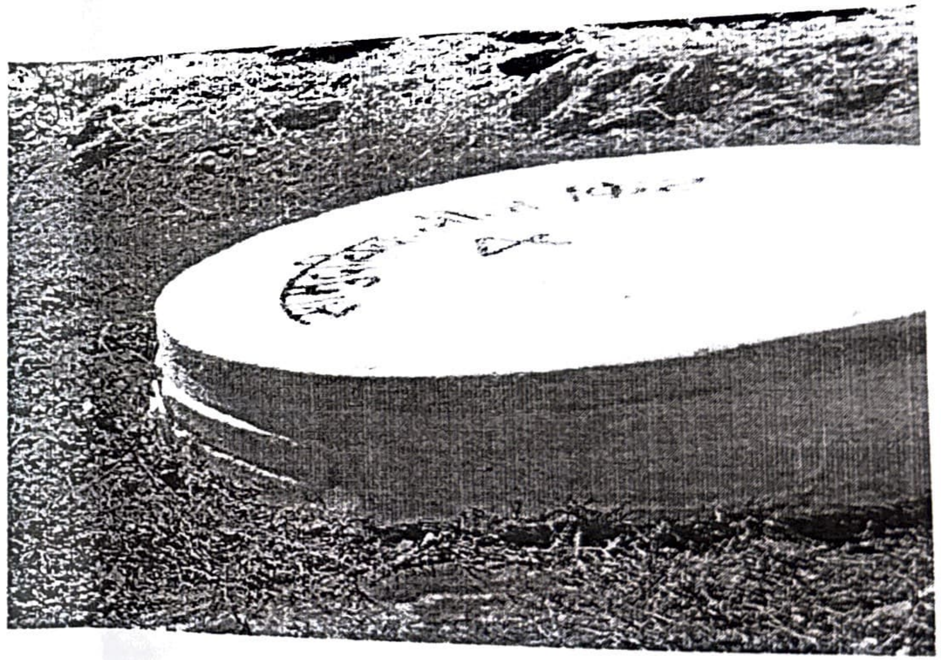

# 1586

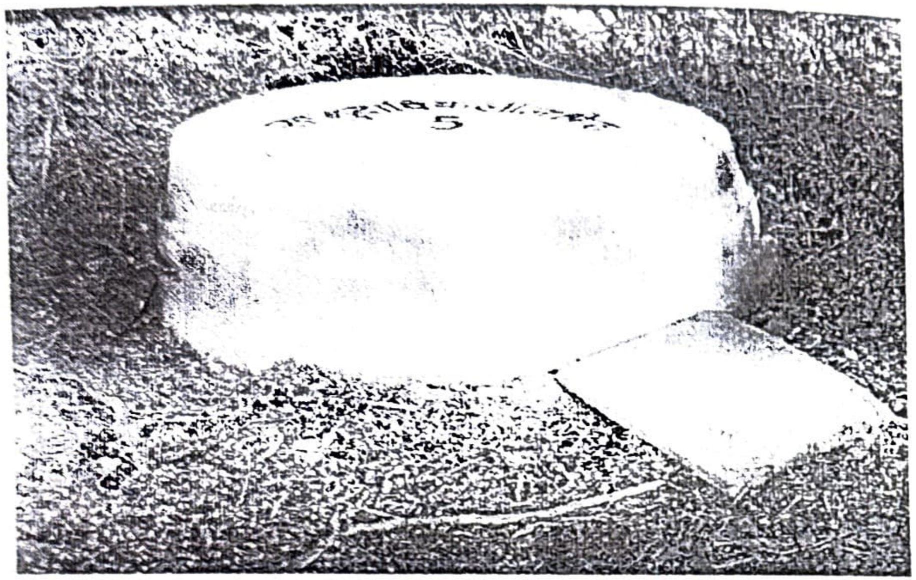

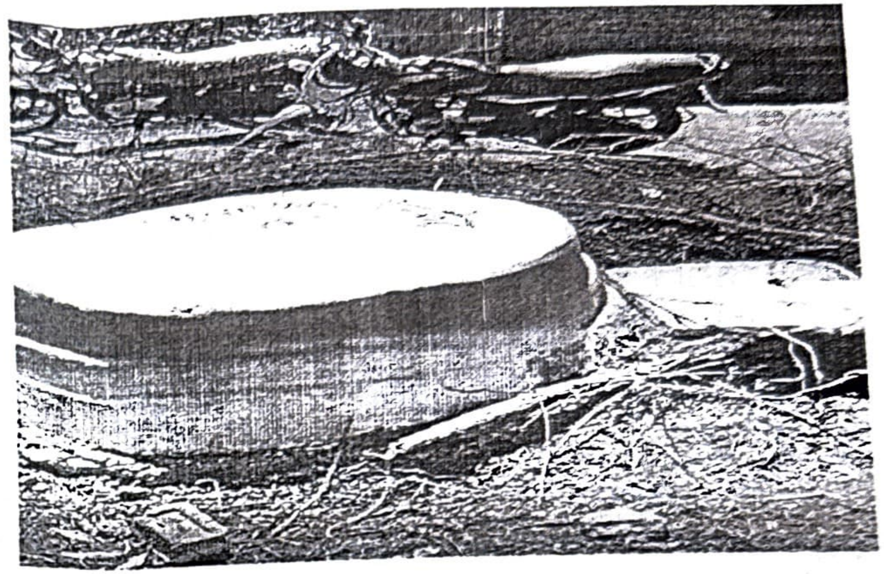

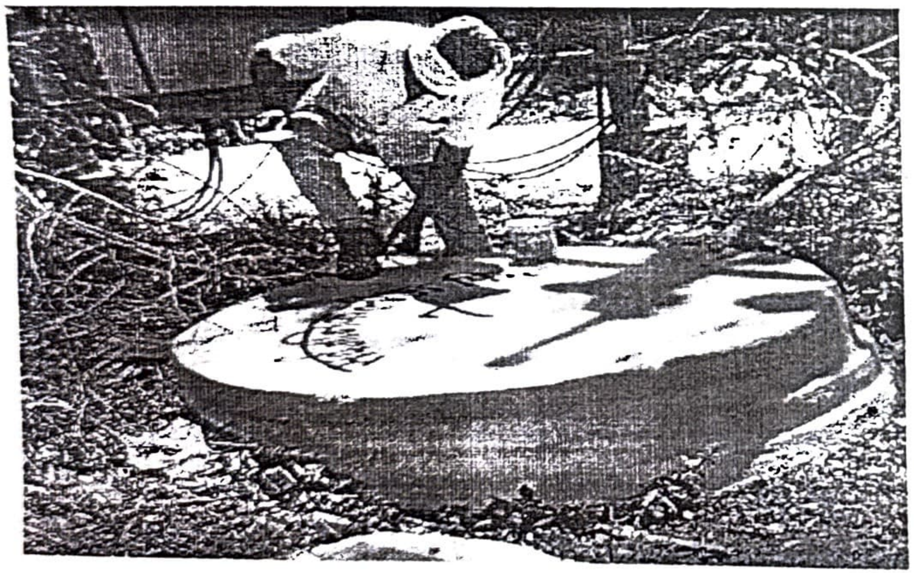

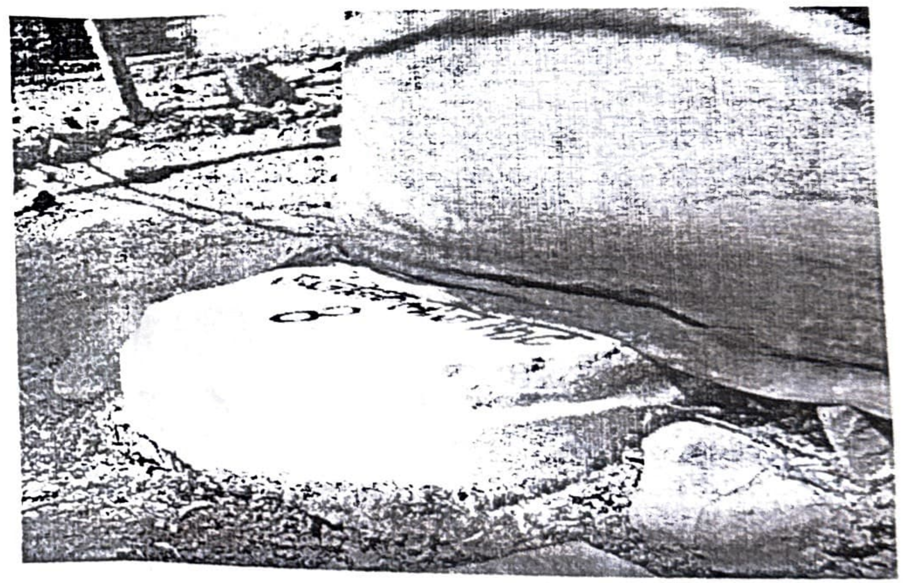

# 1587

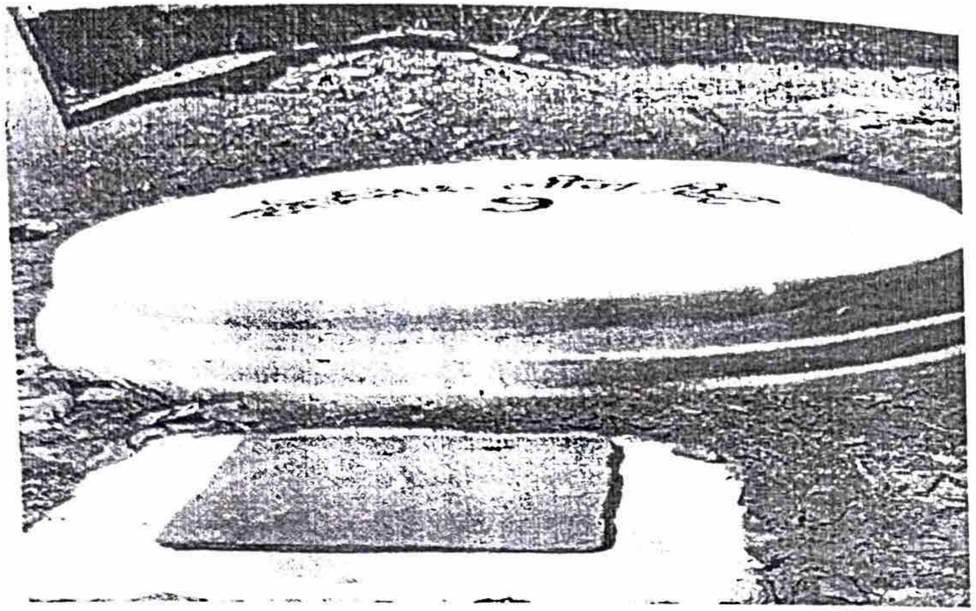

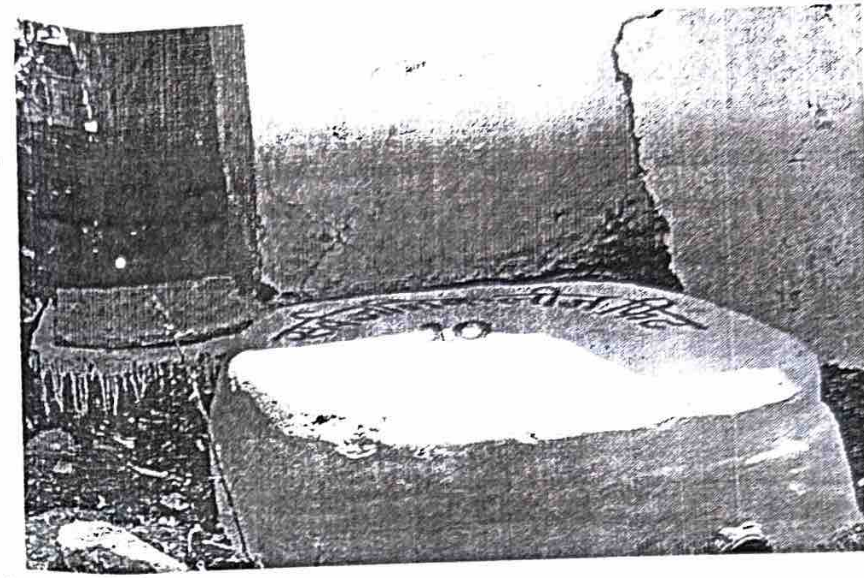

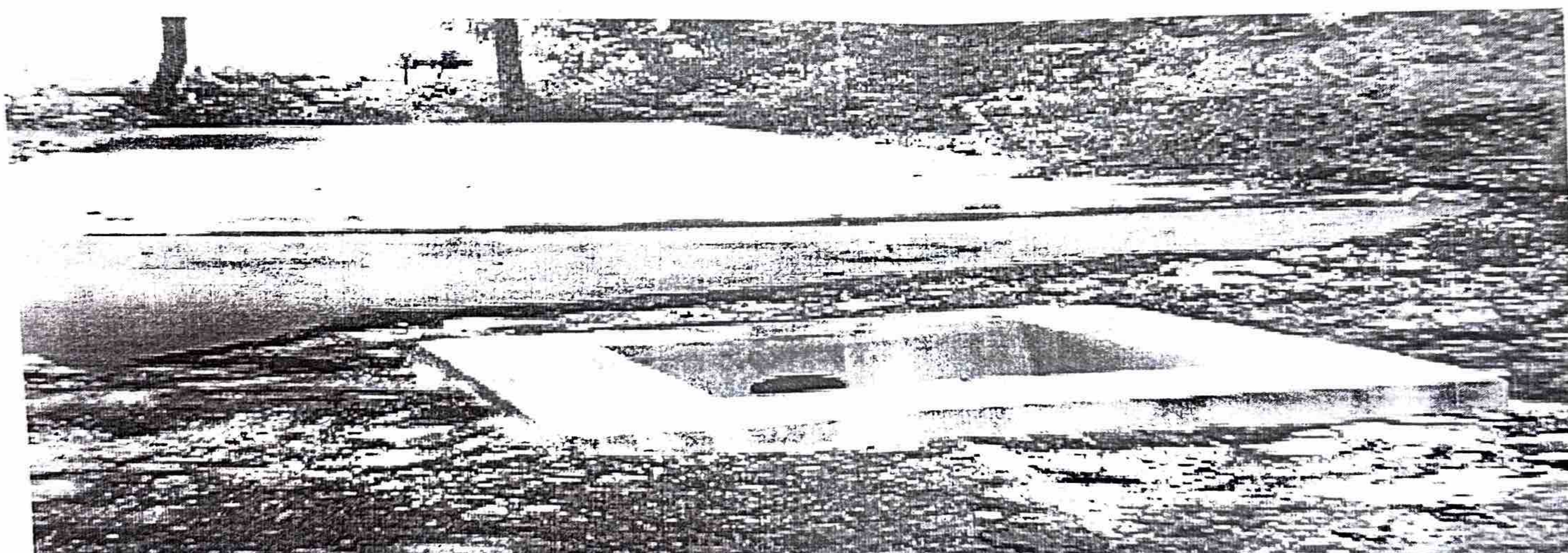

# //संक्षेपिका//

म0प्र0 शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की कार्यवाही के बिन्दू क्रमांक–03 (1) जिसमें कलियासोत रिजर्व वायर के अंतर्गत चिन्हित 96 अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई हैं जो इस प्रकार हैं :–

(1) उक्त कार्यवाही में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कलियासोत जलाशय के एफ0टी0एल0 एवं एफ0टी0एल0 से 33 मीटर के दायरे में प्रचलित प्रकरण क्रमांक–ओ0ए0–07/2022 एवं ओ0ए0 12/2022 डॉ0 सुभाष सी पाण्डेय वि0 म0प्र0 शासन व अन्य के प्रकरण विचाराधीन है।

(2) माननीय नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल के आदेशानुसार शासकीय भूमि पर पाये गये अतिक्रमणों के प्रकरण न्यायालय तहसीलदार के द्वारा ग्राम छावनी, के प्र0क0–0002/अ–68/2023–24 आदेश दिनांक 05.05.2024, ग्राम चंदनपुरा के प्र0क0–0003/अ–68/2023–24 आदेश दिनांक 05.05.2024, ग्राम सिंहपुर के प्र0क0–0004/अ–68/2023–24 आदेश दिनांक 05.05.2024, न्यायालय अपर तहसीलदार के द्वारा ग्राम बरखेडी खुर्द के प्र0क0–0001/अ–68/2023–24 आदेश दिनांक 05.05.2024, न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा ग्राम सेवनियां गोंड, के प्र0क0–0003 से लेकर 0005 तक/अ–68/2023–24 आदेश दिनांक 05.05.2024, में दर्ज अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उन्हें शासकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किए गये।

(3) उक्त प्रकरणों में शासकीय भूमि पर 84 अतिक्रमण एवं निजी भूमि पर 12 निर्माण कुल 96 पाये गये, जो इस प्रकार हैं :–

समाधि–1, मंदिर–7, गौशाला–1, अस्थाई डेयरी–15, झुग्गी–58, रेस्टोरेंट–5, गेमजोन–1, निर्माणाधीन भवन–1, मछलीफार्म–1, पक्का मकान–1, स्कूल–1, जैव विविधता शेड–1, शेड–3, पाये गये।

(4) शासकीय भूमि पर पाये गये अतिक्रमण में झुग्गी–58, गौशाला–1, अस्थाई डेयरी–15, समाधि–1, मंदिर 03, स्कूल–1, जैव विविधता शेड–1, अस्थाई शेड–3, पाये गये है।

उक्त अतिक्रमण के विरूद्व की गई कार्यवाही इस प्रकार है :–

निरन्तर .....................

Scanned with OKEN Scanner

//2//

| क्रमांक | अतिक्रमण का प्रकार | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | झुग्गी–58, | अन्यत्र विस्थापन हेतु कलेक्टर महोदय लिटिगेशन शाखा, भोपाल के पत्र क्रमांक–699/लिटि0/2025, भोपाल दिनांक 08.04.2025 के द्वारा आयुक्त नगर निगम भोपाल को पत्र जारी किया गया। |
| 2 | गौशाला–1, | गौशाला में 65 गायें हैं, जिन्हें गर्मी के कारण समय चाहा गया है। |
| 3 | अस्थाई डेयरी–15, | 12 डेयरियों को हटाया जा चुका है। शेष गर्मी के कारण समय दिया गया है। |
| 4 | समाधि–1, | शेष |
| 5 | मंदिर 03, | शेष |
| 6 | स्कूल–1, | शेष स्कूल का अतिक्रमित रकबा रिक्त है। |
| 7 | जैव विविधता शेड–1, अस्थाई शेड–3, | शेडों को हटा दिया गया हैं भूमि पर अस्थाई रूप से गमले रखे हैं जिन्हें हटाया जाना शेष है। यदि गमलें भी हटवा दिए गये तो झुग्गी बस्ती का अतिक्रमण होने की संभावना रहेगी। |

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल टी0टी0नगर भोपाल
अनुविभागीय अधिकारी
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/205 /अविअ/टीटीनगर/2025, भोपाल दिनांक 01.05.2025

प्रतिलिपि :–

कलेक्टर महोदय, (लिटिगेशन शाखा) जिला कार्यालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल टी0टी0नगर भोपाल
अनुविभागीय अधिकारी
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

**कार्यालय तहसीलदार तहसील–हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)**

क्रमांक / 695 / प्रवा–3 / 2025 भोपाल दिनांक 06.05.2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

विषय – माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक 07/22 सी जेड एवं 12/22 (डॉ0 सुभाष सी पाण्डेय विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश के पालन बावत।

संदर्भ – क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक 1164/क्षेका/प्रनिबो/2025 भोपाल दिनांक 11.04.2025 के पालन में।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक 07/22 सी जेड एवं 12/22 (डॉ0 सुभाष सी पाण्डेय विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) के प्रकरण में सुनवाई दिनाँक 07.05.2025 में संबंधित बिंदुओ पर की गई कार्यवाही से अवगत कराएं जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण मय संक्षेपिका के पत्र के संलग्न आपकी और अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
तहसीलदार
तहसील ★ हुजूर

## मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में जानकारी

बिन्दु क्रमांक – **04** –

केरवा जलाशय में शासकीय भूमि पर चिन्हित 33 अतिक्रमण/अवैध निर्माण में 18 को भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत दायर वाद की अद्यतन स्थिति।

1. उक्त कार्यवाही में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केरवा जलाशय के एफटीएल एवं एफटीएल से 33 मीटर के दायरे में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ0ए0–07/22 एवं ओ0ए0 12/2022 डॉ0 सुभाष सी पाण्डेय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के प्रकरण विचाराधीन है।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र में शासकीय भूमि पर कुल 02 अतिक्रामक शहीद खान एवं लाल मियां निवासीगण ग्राम महुआखेड़ा का शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। ग्राम भानपुर केकड़िया में शासकीय भूमि पर स्थित देवस्थान का अतिक्रमण हटाया गया है। शेष के विरूद्ध म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 248 के तहत नियमानुसार अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल.
फोन–2553096, E-mail – eewrdbpl@gmail.com

पत्र क्रं. 1288 / वि.प्र. / ज.सं.स. / 2024 भोपाल, दिनांक 23/04/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

R.O. M.P. BHOPAL Received 767 Date 25/4/2025

विषय :– माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र.07 / 2022 सी.जेड एवं 12 / 2022 (डॉ सुभाष सी पाण्डेय विरूद्व म.प्र. शासन व अन्य ) में पारित आदेश के पालन बावत्।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक 1164 / क्षेका. / प्रनिबों / 2025 भोपाल दिनांक 11.04.2025

––––000––––

विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र.07 / 2022 (सी.जेड) एवं 12 / 2022 डॉ सुभाष सी पाण्डेय विरूद्व म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में समीक्षा बैठक दिनांक 06.03.2025 को अपरान्ह 04.:00 बजे मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में सप्पन्न हुई जिसमें संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 10(जल संसाधन विभाग से सम्बधित )का निम्नानुसार उत्तर प्रस्तुत है।

1 कलियासोत जलाशय के डूब क्षेत्र (एफ.टी.एल.) एवं विभाग की अर्जित भूमि का डिमार्केशन /सर्वे का कार्य कराया गया है। जिसमें कलियासोत जलाशय के डूब क्षेत्र (एफ.टी.एल.) का क्षेत्र 492. 853 हेक्टेयर है, कलियासोत जलाशय के डूब क्षेत्र के बाहर विभाग द्वारा अर्जित भूमि ग्राम सिंगपुर में 25.28 हेक्टेयर व ग्राम छावनी में 11.547 हेक्टेयर है। इस प्रकार कलियासोत जलाशय की डूब क्षेत्र 492.856 हेक्टेयर तथा डूब क्षेत्र के बाहर विभाग की अर्जित भूमि 36.827 हेक्टेयर (25. 28+ 11.547) होकर कुल क्षेत्र 529.68 हेक्टेयर है, जिसके जियो टेग रिफरेंस कराया जा चुका है।

कलियासोत जलाशय के डूब क्षेत्र (एफ.टी.एल.) में 123 ब्लाक पूर्व से लगे हुये थे, जिसमें से 64 ब्लाक खराब पाये गये, तदोंपरांत कुल 679 ब्लाक लगाया जाना था जिसमें से कुल 679 ब्लाक लगाये जा चुके है।

2 केरवा जलाशय के डूब क्षेत्र (एफ.टी.एल.) एवं विभाग की अर्जित भूमि का डिमार्केशन /सर्वे का कार्य कराया गया है जिसमें केरवा जलाशय के डूब क्षेत्र (एफ.टी.एल.) का क्षेत्र 462.150 हेक्टेयर है, जिसके जियो टेग रिफरेंस कराया जा चुका है।

केरवा जलाशय के डूब क्षेत्र (एफ.टी.एल.) में डिमार्केशन /सर्वे के दौरान कोई ब्लाक नहीं पाये गये थे । डिमार्केशन में कुल 1080 ब्लाक लगाया जाना था, जिसमें से कुल 1080 ब्लाक लगाये जा चुके है।

इस प्रकार माननीय अधिकरण द्वारा जल संसाधन विभाग को दिये गये निर्देश अनुसार पूर्णतः पालन किया जा चुका है एवं पालन प्रतिवेदन माननीय अधिकरण को प्रस्तुत किया जा चुका है।

AE(C)
24/4/2025

(नितिन कुहीकर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,भोपाल

# कार्यालय वन मण्डल भोपाल

74 बंगला,खेल परिसर लिंक रोड.कं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) 2674322 (Fax)
E-mail dfotbpl@mp.gov.in

क्रमांक/लेखा/ S015 भोपाल/दिनांक/ 6/5/25

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

विषय :- माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक-07/2022 सी.जेड एवं 12/2022 (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश के पालन बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/1164/क्षे.का./प्रनिबो/2025 दिनांक 11.04.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि दिनांक 07.05.2025 को नियत सुनवाई के संबंध में चाही गई बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

**बिंदु क्रमांक-8 :-** केरवा रिर्जवायर के चारो ओर एवं कलियासोत रिर्जवायर के चारो ओर इस वनमंडल अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | वृक्षारोपण स्थल | रोपण वर्ष | योजना का नाम | हेक्ट. | रोपित किये गये पौधे | कुल लागत (लाख में) | जिवित्ता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कलियासोत डेम रोड साईड वृक्षारोपण | 2019 | विस्तार वानिंकी योजना | 10.960 | 8000 | 69.94 | 77.39 |
| 2 | केरवा-मेण्डोरा | 2017 | वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) | 5.656 | 6000 | 19.80 | 79.16 |

**बिंदु क्रमांक-9 :-** भोपाल वनमंडल के कार्य आयोजना (वर्ष 2021-22 से 2030-31) आलेख भाग-2 अध्याय-17 में भोपाल बाघ विचरण क्षेत्र के रूप में दर्शित है तथा कार्य आयोजना के बिंदु क्रमांक-17.6.1 (8) में भोपाल-रायसेन-औबेदुल्लागंज तथा भोपाल-रातापानी-सिंघोरी कोरिडोर को अधिसूचित करने का उल्लेख है। केरवा कलियासोत क्षेत्र बाघ कोरिडोर के रूप में अधिसूचित नही है।

अतः उक्त केरवा कलियासोत क्षेत्र टाईगर कोरिडोर न होकर बाघ विचरण क्षेत्र है।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, भोपाल

पृ.क्रमांक/लेखा/ S016 भोपाल/दिनांक/ 6/5/25

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, भोपाल

D:\I Drive\OLD F DRIVE DATA\ASIF\Latter\Latter-2025-26.doc

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**ORIGINAL APPLICATION No. 07/2022,**
**and**
**ORIGINAL APPLICATION No. 12/2022**

**IN THE MATTER OF:**

**SHUBHASH C. PANDEY** ........APPLICANT

VERSUS

**STATE OF MP & ORS** ..........RESPONDENT

**AFFIDAVIT**

I, Brajesh Sharma , S/o Shri. K.C. Sharma Regional Officer, MPPCB Regional Office Bhopal, and Officer-in-Charge, Age: 59 Years, office at E-5 Arera Colony, Paryawaran Parisar, Regional Office, , Madhya Pradesh Pollution Control Board, , Bhopal do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for Madhya Pradesh Pollution Control Board in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.

2. That I am filing a Reply in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct and no material fact.

3. That the contents of the Reply are true and correct and no material fact is concealed or suppressed.

**DEPONENT**
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
BHOPAL

**VERIFICATION**

I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

Signed and verified on 06.05.2025 at Bhopal (MP)

SIGNATURE ATTESTED
SWORN BEFORE ME
RAJNI TELANG
NOTARY ADVOCATE
144, Malviya Nagar Bhopal M.P. India
Serial........212

IDENTIFIED BY ME
Name....Ashok K. Shrivastava
Address....Dfo m.p. p.........
Signature........

6 MAY 2025

**DEPONENT**
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
BHOPAL